

204

100

संख्या- 45 /XVII-4 /2017-01(50) / 2014

प्रेषक,
डॉ० रणवीर सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण, उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी-नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग-4

देहरादून, दिनांक 17-जनवरी, 2018

विषय-पी0जी0डी0एम0 पाठ्यक्रम में अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों के शुल्कसम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-629/XVII-4/2016-1(50)/2014 दिनांक 21.04.2016 को अतिक्रमित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पी0जी0डी0एम पाठ्यक्रम हेतु शैक्षणिक वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं की फीस प्रतिपूर्ति/छात्रवृत्ति की धनराशि सम्बन्धित संस्थान द्वारा निर्धारित अथवा प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-487/XI.I-1/2014-76/13 दिनांक 28.05.2014 के अनुसार ही अधिकतम ₹91,600/-अनुमन्य होगी।

भवदीय,

12.1.2018

(डॉ० रणवीर सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- /XVII-4 /2017-01(50) /2014, तददिनांकित।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित:-

1. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, हरिद्वार, उत्तराखण्ड।
3. नोडल अधिकारी, समाज कल्याण, आई0टी0सैल, देहरादून।
4. जिला समाज कल्याण अधिकारी, हरिद्वार।
5. चेंयरमैन, आई0डी0ई0ए0एल0, बिजनेस स्कूल, रुडकी, हरिद्वार।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डॉ० राम बिलास यादव)
अपर सचिव।

AO (P)

Dir,

17/18